

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
-------------	------------------------------------	--

22.03.2024

पत्रावली वारते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से ऋण लिया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति बैंक के पास बंधक रखी थी। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि भुगतान का व्यतिक्रम करने पर अप्रार्थीगण के खाते को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के तहत रजि. नोटिस प्रेषित किया गया, जो अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गया तथा अप्रार्थीगण का नोटिस जरिए समाचार पत्रों के प्रकाशन के जरिए भी तामील किया गया है। ऋण द्वारा धारा 13(2) के नोटिस पर कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ना ही देय राशि का भुगतान प्रार्थी को किया है। अतः अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी के पास बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी को पुलिस सहायता से दिलाए जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। धारा 14 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन के साथ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की अन्तर्वस्तु के प्रति समाधान हो जाने के आधार पर कार्यवाही किया जाना होता है, प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 में यह अंकित किया है कि प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थी को धारा 13(2) के अंतर्गत दिनांक 15.06.2021 को नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी के निवास स्थान पर प्रेषित किया जो अप्रार्थी को प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये जाने की रजि. रसीदें पेश की गयी हैं लेकिन डाक अप्रार्थी पर तामील होने के साक्ष्य स्वरूप एडी अथवा ऑनलाईन ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस में 13(2) नोटिस की दो तिथियां दिनांक 12.06.21 एवं 15.06.21 अंकित हैं। साथ ही प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत ऋण करार पत्रों अनुसार बंधक सम्पत्ति के विवरण में पट्टा सं. 13 व 92 वार्ड नं. 4 चक 3 एसटीआर को ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखा गया था लेकिन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर केवल पट्टा सं. 13 की सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों में समानता नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ऐसी स्थिति में आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 खारिज किया जाता है। पत्रावली फाँसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 22.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़ I.A.S.
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

